

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

डिक्रीधन के भुगतान हेतु राशि `15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु `15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

वन प्रशिक्षण केन्द्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु `5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु `5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

वन मार्गों व पुलों के मरम्मत एवं दुरूस्तीकरण हेतु राशि `100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु `1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

क्षेत्रीय वन मण्डल योजनांतर्गत मजदूरी भुगतान पर `400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु `4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 से 9

नवीन जिलों मुंगेली, बलरामपुर, बालोद, बलौदा बाजार एवं कोण्डागांव में वन मण्डलों के गठन हेतु कार्यालय व्यय मद में राशि `66.25 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु `66,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मद में राशि `20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु `20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 से 15

इमारती लकड़ी के राजकीय व्यापार मद में मजदूरी भुगतान पर राशि `800.00 लाख, अनुरक्षण कार्यों पर `500.00 लाख, सामग्री और पूर्तियां मद में `75.00 लाख एवं लघु निर्माण कार्य मद में `200.00 लाख, कुल `1575.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु `15,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत क्षमता विकास, प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं अधोसंरचना विकास में राशि `437.64 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु `4,37,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।